

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।
आदेश

केन्द्रीय कारा, गया में पदस्थापित निम्नांकित महिला, कक्षपाल को विशेष परिस्थिति में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर उनके नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित कारा में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	नाम/पदनाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	प्रस्तावित नव पदस्थापन कारा का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्रीमति शकुन्तला देवी महिला कक्षपाल	पटना	केन्द्रीय कारा, गया	उपकारा, पटना सिटी

2. संबंधित काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश के आलोक में स्थानान्तरित कर्मी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत तुरंत विरमित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. स्थानान्तरित कर्मी के माह सितम्बर 2013 का वेतन नव पदस्थापित कारा से देय होगा।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/स्था० (अरा०) 02-15/2013 4754 पटना, दिनांक- 23-9-13

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सभी संबंधित केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उपकारा/संबंधित कक्षपाल को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/स्था० (अरा०) 02-15/2013 4754 दिनांक- 23-9-13

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/स्था० (अरा०) 02-15/2013 4754 दिनांक- 23-9-13

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन
बिहार, पटना।